न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 03/2024

अपीलांटगणगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.मदनसिंह पुत्र श्री आसकरण 2. चन्द्रा पत्नि मदनसिंह निवासीयान— सीटी पोईन्ट होटल के पास विश्वकर्मा कॉलोनी फलौदी तहसील फलौदी जिला फलौदी		तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश नामान्तरकरण संख्या 2618 ग्राम खीचन पटवार हल्का खीचन दिनांक 21.06.2021 बविरूद्व आदेश तहसीलदार फलौदी

उपस्थित वकील —:
अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह राजपुरोहित ।
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से — तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

दिनांकः— 29/7/2024

निर्णय

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व आदेश नामान्तरकरण 2618 ग्राम खीचन पटवार हल्का खीचन, नामान्तरकरण संख्या 2618 दिनांक 21.06.2021 आदेश तहसीलदार फलौदी विरूद्व अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि ग्राम खीचन पटवार हल्का खीचन तहसील फलौदी में खसरा संख्या 57/1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 57/1 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 57/11 रकबा 1.0036 हैक्टयर, खसरा संख्या 57/12 रकबा 1.3436 हैक्टयर की स्थित है। अपीलांट का उक्त खातेदारी अधिकारों के इस खसरा की भूमि पर वास्तविक व भौतिक कब्जा है और उसके द्वारा खातेदारी अधिकारो की भूमि का अपनी स्वेच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग किया जा रहा हैं। उक्त खसरान भूमि पर अपीलान्टस एवं अन्य सहखातेदार जमाबंदी में दर्ज अपने हिस्सा अनुसार काश्त भूमि पर काबिज है। अपीलान्टस का अपने हिस्सा व बंट की भूमि पर रहवासी मकान व पानी का टांका व कृषि उपज भण्डार इत्यादि बनाये हुए है। कृषि कार्य हेतु नलकूप भी बना हुआ है। अपीलांटस अपने भाईयों व खातेदारों के मध्य पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडे अनुसार अपने हिस्से व बंट की भूमि पर काबिज काश्त है जबकि खातेदारों के मध्य आज तक विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। कुछ समय पूर्व हल्का पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक आदि राजस्व कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए व अपीलान्टस से रंजिश के तहत सहखातेदारों को लाभ पहुचाने हेतु बिना खातेदारों की सहमति व बिना मौका निरीक्षण किये उपरोक्त खसरा संख्या 57/1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि का 3 हिस्सों में विभाजन कर खसरा संख्या 57/1 रकबा 16 बीघा, खसरा संख्या 57/11 रकबा 6.04 बीघा एवं 57/12 रकबा 8.06 बीघा दर्ज कर दिया गया जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के मात्र

जिला कलक्टर
फलौदी

अपीलांटस को हैरान व परेशान करने के लिए किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2628 ग्राम खीचन खारिज योग्य है। अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह राजपुरोहित के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस एवं सहखातेदार अपने अधिकारों की काश्त भूमि पर पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने हिस्सा व कब्जा काश्त भूमि पर काबिज है। जबकि तहसीलदार फलौदी ने बिना किसी जांच किये नामान्तरकरण संख्या 2618 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्टस ने अपीलाथीगण को न तो कोई नाटिस दिया और न ही सुनवाई का अवासर दिया है। तहसीलदार फलौदी की ओर से की गई समस्त कार्यवाही पोषिदा तौर पर एक तरफा की गई है। धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र अपनी बहस में बताया कि अपीलांट कस्बा फलौदी में निवास करता है इसलिए उसका ग्राम खीचन में आना जाना कम होता है। दिनांक 15.08.2021 को उक्त काश्त भूमि में सुधार हेतु नकल जमाबंदी की आवश्यकता होने पर पटवारी के पास जाने पर नामान्तरकरण संख्या 2618 स्वीकृत होने एवं अलग–अलग खाते कायम कर अलग–अलग तरमीम करने की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 13.09.2021 को नामान्तरकरण के विरूद्व अपील मय धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2618 स्वीकृत करते समय विधि के नियमों की पालना नहीं किये जाने से खारिज योग्य होने पर खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण एवं मौका रिपोर्ट अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 2618 ग्राम खींचन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी में निर्णय दिनांक 21.06.2021 एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि विवादित नामान्तरकरण आदेश उपखण्ड अधिकारी न्यायालय फलौदी के आदेश क्रमांक :2021/700 दिनांक 21.06.2021 द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज व निर्णित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूरा करने व नक्शे में दर्ज खसरान को वन–टू–वन के मध्यनजर खसरों को सही करने हेतु नक्शा दुरूस्ती प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की गई है। न्यायालय के उक्त निर्णय में अंकित है कि रिपोर्ट पटवारी, जांच भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार फलौदी की अनुशंषा के अनुसार रिकार्ड/खसरा दुरूस्ती की स्वीकृति दी जाती है जो रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय में अंकित है कि खसरा संख्या 57/1 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा विभिन्न खातेदारों की सहखातेदारी में अंकित है। जिसमें अपीलांट संख्या 01 का 85/610 वॉ हिस्सा, अपीलांट संख्या 02 चम्पा देवी का 85/610 वॉ हिस्सा है। इस प्रकार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/700 दिनांक 21.06.2021 द्वारा निर्देश दिए गये है। उक्त निर्णय

जिला कलक्टर
फलौदी

की पालना में तहसीलदार फलौदी द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./DILRMP/2021/1858 दिनांक 21.06.2021 द्वारा पटवारी हल्का खीचन को माफिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट नामान्तरकरण आदेश उपखण्ड अधिकारी फलौदी के आदेश की पालना में दर्ज एवं निष्पादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय की पालना में कोई विसंगति प्रकट नहीं होती है। अपीलांट के द्वारा अपील का आधार यह किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का बंटवाड़ा किया गया है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सहखातेदारी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। प्रकरण में धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी के रूप में का क्षेत्राधिकारी संभागीय आयुक्त को है। अतः प्रकरण में नामान्तरकरण अपील के माध्यम से अपीलांट को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। खसरान तरमीम/विभाजन के संबध में अपीलांट को राहत प्राप्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय के विरूद्व संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. प्रकरण में अपीलांट द्वारा विवादित नामान्तकरण के समय दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अतः आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/7/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी

जिला कलक्टर
फलोदी